पत्रांक-14/मु०13-156/2014......1391

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग

सेवा में

कुल सचिव

राज्य के सभी विश्वविद्यालय

फैक्स/ (कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर)

स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक ..10/10/ 2014

विषय:- **एम०जे०सी० संख्या-1788/2011 डा० निर्मल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा उसके साथ संलग्न अवमाननावादों में करीब 448 वादी को जिन्हे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.11.2013 को पारित आदेश द्वारा निष्पादित किया गया है, से उद्भूद अवमाननावादों के संबंध में वांछित सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि एम०जे०सी० संख्या-1788/2011 डा० निर्मल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा उसके साथ संलग्न अवमाननावादों करीब 448 वादी थे । इस वाद को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.11.2013 को पारित आदेश द्वारा निष्पादित किया गया है । अंकनीय है कि यह मामला प्रयोगशाला से जुड़े तृतीय वर्गीय कर्मियों से संबंधित है जिन्हें पूर्व में विभागीय पत्रों के आधार पर प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया था । इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में पुन: माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद दायर किये जाने की सूचना है । अत: इस प्रकार के सदृश्य वादों से संबंधित प्रयोगशाला कर्मियों की प्रथम नियुक्ति से संबंधित धारित पद, कालान्तर में धारित पदों की स्वीकृति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, प्रथम नियुक्ति के समय का विज्ञापन, नियुक्ति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-10(6) के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुमोदन से संबंधित आदेश की प्रति, प्रथम नियुक्ति अर्थात प्रयोगशाला प्रभारी/ सहायक अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति के समय धारित योग्यता से संबंधित कागजात तथा अभिलेख की प्रमाणिक/ अभिप्रमाणित कागजात के साथ-साथ उन कर्मियों के संदर्भ में विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रत्येक वादी के लिए अलग-अलग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

10/10/15

सरकार के संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग

10/10/14

H:\28.03.2011 update in 22-09-2014\28.03.2011\File No. D-2 (Deginated Demostrator)\Letter\Letter Shambhu Sharan Sharma 26-09-2014.doc

फैक्स/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-14/मु०13-156/2014.......1391 पटना, दिनांक 10/10/ 2014

प्रतिलिपि:- कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अवमाननावाद संख्या-1809/2014 शंभु शरण शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा वर्ष 2013-14 के बजट में श्री शर्मा का नाम अंकित नहीं रहने के सन्दर्भ में अपना प्रतिवेदन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कृपा करें । प्रधानाचार्य, आर०सी०एस० कॉलेज मंझौल, बेगूसराय तथा वादी श्री शंभु शरण शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला कर्मी, आर०सी०एस० कॉलेज, मंझौल, बेगूसराय से भी अनुरोध है कि वर्णित वांक्षित सूचना से संबंधित प्रमाणिक कागजात/ अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

8/10/14

सरकार के संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग